कार्यालय वनमण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल
जिला-शहडोल 484001 (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या—240304) (निवास—241443) (फैक्स—240304) ई—मेल— dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/ 3924 शहडोल, दिनांक : 01/6 /2022

प्रति,

मे० बिरला कार्पोरेशन
लिमि० सतना, कैम्प बुढ़ार
जिला-शहडोल (म०प्र०)

विषय :— वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढ़ार के वन कक्ष आर.एफ. 827 एवं आर.एफ. 828 के रकवा 142.075 हे0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 9.020 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 151.095 हे0 वनभूमि में विक्रम कोल ब्लाक ओपन काष्ट/भूमिगत कोयला उत्खनन तथा अन्य उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का—मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक—FP/MP/MIN/49537/2020

संदर्भ :— 1—भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/8—34 /2021—एफ.सी. दिनांक 21.04.2022

2—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11/1871 दिनांक 26.05.2022

3—आपका पत्र क्रमांक/13/22 दिनांक 23.05.2022

-☆☆☆-

निवेदन है कि विषयांकित संदर्भित पत्र क्रमांक—01 से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति सर्शत प्रदान की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार **भारत सरकार के शर्त क्रमांक A(i) के अनुपालन में** वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अन्तर्गत कुल 55.811 हे0 गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 11 वर्षीय तैयार की गई योजना की कुल राशि 23523610.00 एवं एन.पी.व्ही. की राशि ओपन माईन्स रकवा 114.372 हे0 की भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर 1292850.00 से 147865840.00 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपल के आदेश क्रमांक/एफ—5/16/2000 /10—03 दिनांक 12.09.2008 से जारी निर्देशों के तहत भूमिगत कोल माईन्स में 50 प्रतिशत छूट के उपरान्त रकवा 36.723 हे0 राशि 23738665.00 कुल राशि 171604505.00 का मांग पत्र भेजा गया था।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11/1871 दिनांक 26.05.2022 से लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश में ईको क्लास–III : Tropical Dry Deciduous Forest पाया जाता है प्रस्तावित वनक्षेत्र के ईको क्लास का पुनः परीक्षण/गणना कर एन.पी.व्ही. की राशि का निर्धारण कर आवेदक संस्थान को मांग पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः जारी निर्देशानुसार ईको क्लास–III के डेन्स अनुसार **भारत सरकार के शर्त क्रमांक A(ii) के अनुपालन में** नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि कुल प्रभावित वनभूमि 151.095 हे0 में से ओपन काष्ट माईन्स का रकवा 114.372 हे0, दर 1228590.00 से 140516296.00 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–5/16/2000 /10–03 दिनांक 12.09.2008 से जारी निर्देशानुसार भूमिगत कोल माईन्स में 50 प्रतिशत छूट के उपरान्त रकवा 36.723 हे0 राशि 22558755.00 कुल राशि 163075051.00 (रूपये सोलह करोड तीस लाख पचहत्तर हजार इक्यावन) एवं **शर्त क्रमांक A(i) के अनुपालन में** वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अन्तर्गत कुल 55.811 हे0 गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 11 वर्षीय की कुल राशि 23523610.00 की तैयार की गई जिसमें वृक्षारोपण राशि 21385100.00 (रूपये दो करोड तेरह लाख पचासी हजार एक सौ मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से जमा करें एवं पर्वेक्षण शुल्क की राशि 2138510.00 मध्यप्रदेश कोषालय एवं डी.डी. के माध्यम से जमा करें जो वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल के नाम देय हो राशि जमा उपरान्त जमा पर्ची एवं भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो का मान्य करने बावत् वचन पत्र एवं पालन प्रतिवेदन टेबूलर फार्म में 5 प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध करावें।

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण वनमण्डल शहडोल
01/06/2022

पृ0क्रमांक/मा.चि./2022/ शहडोल, दिनांक : /2022

प्रतिलिपिः-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11/1871 दिनांक 26.05.2022 के पालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण वनमण्डल शहडोल
01/06/2022